बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

संख्या– वि० प्रा० एवं त० शि० (X) छात्र समस्या–04 / 2026 /   /पटना, दिनांक –

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी के कतिपय छात्र एवं छात्राओं द्वारा दिनांक–24.09.2025 को महाविद्यालय परिसर (प्राचार्य कक्ष, प्राचार्य कार्यालय, छात्रावास व इलेक्ट्रीकल मशीन लैब, तीन कम्पयुटर लैब, प्राचार्य आवास, एकेडमिक ब्लॉक क्षेत्र एवं परिसर में खड़ी कार) में तोड़–फोड़ एवं आगजनी की घटना को अंजाम दिये जाने तथा सरकारी सम्पति को नुकसान करने के आरोपों तथा अनुशासनिक समिति की अनुशंसा के आलोक में संस्थान के पत्रांक–1184 दिनांक–12.12.2025 द्वारा संबंधित छात्रा / छात्राओं को छात्रावास से निष्कासन, छः माह एवं तीन माह के लिए पठन–पाठन से वंचित किया जाना, ब्लैक डॉट, 40,000 / – (चालीस हजार) एवं 30,000 / – (तीस हजार) रूपये मात्र का आर्थिक दंड का आदेश संस्थान के प्राचार्य के आदेश संख्या–1184 दिनांक–12.12.2025 द्वारा निर्गत किया गया है।

02. उक्त आदेश के विरूद्व में संबंधित छात्रों द्वारा निदेशक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार पटना के स्तर पर अपील दायर किया गया है।

03. छात्रों के अपील आवेदन पर विचार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु दिनांक–08.09.2026 के अपराह्न–04:00 बजे की तिथि निर्धारित की गई तथा सभी संबंधित को उक्त सुनवाई में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

04. आज की सुनवाई में संस्थान के प्राचार्य एवं संस्थान के अनुशासनिक समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दंडित छात्रों का पक्ष सुना गया। प्राचार्य एवं संस्थान के अनुशासनिक समिति के सदस्यों से भी तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई।

05. सुनवाई में यह पाया गया कि संस्थान द्वारा दिये गये दंड की समय अवधि पहले ही बीत चुकी है तथा अर्थदंड अधिरोपित विधार्थियों के द्वारा अर्थदंड की राशि जमा भी कराई जा चुकी है, अतएव इन दो शस्तियों पर विचार का मामला सम्प्रति प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। ब्लैक डॉट के दंड के संबंध में यह स्थिति स्पष्ट की गयी कि दंडित छात्र / छात्राओं का आचरण यदि संस्थान में शेष अध्ययन अवधि में संतोषजनक रहता है तो अनुशासनिक समिति की बैठक कर इसे समाप्त कर दिया जाएगा। छात्रवृति की अनुशंसा नहीं किये जाने के दंड के संबंध में अनुशासनिक समिति को यह निदेश दिया जाता है कि समिति दंडित छात्र / छात्राओं के कैरियर तथा पूर्ववृत को दृष्टिपथ में रखते हुए इस दंड पर पुनर्विचार करते हुए अपनी अनुशंसा देगी जिस पर संस्थान के प्राचार्य द्वारा यथोचित आदेश पारित किया जाएगा। इस रुप में छात्र / छात्राओं के आलोच्य अभ्यावेदन को निष्पादित किया जाता है।

ह० / –

निदेशक।

ज्ञापांक– वि० प्रा० एवं त० शि० (X) छात्र समस्या–04 / 2026 /498357/ पटना, दिनांक – 09.09.26

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी एवं संबंधित छात्र / छात्राओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 09-09-2026 17:29:03